उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन कमांक B/3014/चार–09–31/67 भाग–एक ए. जबलपुर, दिनांक 19/07/2024

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक सी–3–10/2019/1/3, भोपाल दिनांक 10.06.2024 की प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर/ग्वालियर
2. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ....(समस्त)...........मध्यप्रदेश,
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ....(समस्त)...........मध्यप्रदेश,
4. जिला न्यायाधीश (सर्तकता), जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश
5. रजिस्ट्रार (एम.)/ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. उप नियंत्रक (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.),..................... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
8. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.)................(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
9. प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी, स्थापना, जिला स्थापना, लेखा, पेंशन, सहायक सेवा पुस्तिका, गोपनीय, शिकायत, बजट अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :–मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, भोपाल का पत्र कमांक सी–3–10/2019/1/3,
भोपाल दिनांक 10.06.2024।

टिप्पणी :– रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg (IT) (SA)/2018/368 दिनांक 01/03/2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

(रवि शंकर डेकाटे)
ओ.एस.डी. (लेखा)

AA/Desktop/Pension main file/HC Registrar/Deputy Reg.

313

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
12 JUN 2024
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी.3-10/2019/1/3 भोपाल, दिनांक 10 जून, 2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय:-50 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा।

विषयान्तर्गत इस विभाग के परिपत्र दिनांक सी 3-24/2000/3/1 दिनांक 22 अगस्त, 2000 का कृपया अवलोकन करें। उक्त परिपत्र की कण्डिका-3 छानबीन करने की अवधि में लेख किया गया है कि प्रत्येक विभाग द्वारा उपरोक्त प्रयोजन के लिये छानबीन की कार्यवाही निम्नानुसार की जाए:-

(अ) छानबीन की कार्यवाही संबंधित शासकीय सेवक के 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से 06 माह पूर्व कर ली जावे। यह कार्यवाही प्रति 06 माह के अन्तराल से की जानी है। अतः इस कार्यवाही के लिये यह निर्धारित किया गया है प्रत्येक विभाग प्रति वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई तक यह कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करें तथा 05 फरवरी एवं 05 अगस्त तक इसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित करें।

(ब) जिन शासकीय सेवकों की 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा या 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर छानबीन की गई हो, उसकी अगली छानबीन प्रत्येक 02 वर्ष में होगी।

2/ कृपया उक्त निर्देश का कडाई से पालन सुनिश्चित करें।

(मनीष रस्तोगी) 7/3/24
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

for Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur
12 JUN 2024
Reg. (Adm)

21/6/24

ARF (Pension)

SO (RR)
25/6